	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 24, शुक्रवार, *शाके* 1941–नवम्बर 15, 2019 *Kartika 24 Friday, Saka 1941–November 15, 2019*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 15, 2019

एस.ओ.122 :–भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 162 (ई) दिनांक 10.03.1993 के निर्देशानुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 71 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निम्न निर्देश जारी करती है :–

निर्देश

यतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान है कि जयपुर शहर में मंजिली यात्री वाहनों के रूप में मार्ग जीनस फैक्ट्री से नींदड मोड पर चलने वाली मिनी बस वाहनों की मार्गवार अधिकतम संख्या निर्धारित की जाये, अतः जयपुर शहर में अनन्य रूप से नगरीय मार्ग जीनस फैक्ट्री से नींदड मोड पर संचालित होने वाली मिनी बसों (मंजिली वाहनों) की संख्या को सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निर्देशित करती है कि वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त प्रकार के वाहनों के निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत नहीं करेंगी और यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए अनुज्ञा–पत्रों की अधिकतम संख्या का 16 प्रतिशत व 12 प्रतिशत क्रमशः आरक्षण अनिवार्य होगा।

सारणी

जयपुर नगरीय क्षेत्र में संचालित मिनी बस मंजिली वाहनों के लिये स्वीकृत मार्ग जीनस फैक्ट्री से नींदड मोड हेतु अधिकतम वाहनों की संख्या/सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र.सं.	मार्ग का नाम	मिनी बसों की अधिकतम संख्या
1	जीनस फैक्ट्री से नींदड मोड	50

[संख्या एफ 9 (922) परि/आर.टी.ए./मु./2002/पार्ट–I/28174]

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र कुमार खीचीं,

संयुक्त शासन सचिव (मु.)।

Government Central Press, Jaipur.